

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी -डॉ० साधना शर्मा, आरए०ए०एस०

प्रकरण संख्या-140/2015

जीसीएमएस पोर्टल नम्बर:- 2015/00132

उनवान:-


श्रीमती राजकुमार पत्नी श्री विनोद सिंह आयु करीब 35 साल जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरैठा कला तहसील व जिला धौलपुर।

.....वादीया

बनाम

1. श्यामवीर पुत्र थान सिंह
2. ओमवीर पुत्र थान सिंह
3. राजेन्द्र पुत्र थान सिंह
4. जीतेन्द्र पुत्र थान सिंह
5. मुकेश पुत्र प्रकाश
6. विष्णू पुत्र प्रकाश
7. देवेन्द्र पुत्र प्रकाश
8. जयदेवी पत्नी रमेश
9. रमुजी पुत्र निहालसिंह
10. गोपाल पुत्र निहालसिंह
11. रमेश पुत्र निहालसिंह
12. पुनियां पत्नी रामखिलाडी
13. मुन्नीदेवी पत्नी श्री केशवसिंह
14. रेशमदेवी पत्नी दुशासन
15. सोमवती पत्नी हाकिम सिंह
16. मुनीषा पत्नी मुरारीलाल




उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

17. ऊषा पत्नी भूरीसिंह

18. कुसुमा पत्नी शेरसिंह

समस्त जातिगण ठाकुर समस्त निवासीगण गाँव बरैठा खुर्द तहसील व जिला धौलपुर

19. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बरैठा जिला धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक

20. भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक

21. सहकारी भूमि विकास बैंक लि० धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक

22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर व हैसियत भूमि धारक

..... प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक..... 5.8.25

निर्णय

वादीया ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 15.09.2015 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 31.01.2020 को प्रारंभिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार मनियां के पत्रांक 06.05.2025 विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीया की बहस सुनी गयी। वकील वादीया ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादीया की बहस का मनन किया तथा तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी बांके ग्राम बरैठा पटवार हल्का बरैठा तहसील मनियां व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-



उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (है०)
1	राजकुमारी पत्नी विनोद सिंह जाति ठाकुर सा. देह खातेदार	1495 / 1	0.1247
2	ऊमादेवी पत्नी राकेश हि. 3/25, ऊषा पत्नी भूरीसिंह हि. 11/70, गुड्डी पुत्री केशव हि. 1/20, गिरजेश पुत्री केशव हि. 1/20, मुनीषा पत्नि मुरारीलाल हि. 11/70, रेशम देवी पत्नी दुशासन हि. 11/70, राजपाल पुत्र केशव हि. 1/20, राधा पत्नि रामदत्त हि. 3/35, रामकुमार पुत्र केशव हि. 1/20, सोमवती पत्नी हाकिम सिंह हि. 11/70 जाति ठाकुर सा. देह खातेदार (रेशम देवी हि. 1/7 राहिन एसबीआई शाखा धौलपुर)	1495 / 2 1504 1505 1511	0.1156 0.3035 0.3035 0.0253
3	राजकुमारी पत्नि विनोद सिंह जाति ठाकुर सा. देह खातेदार	1517 / 1	0.0077
4	ऊमादेवी पत्नि राकेश कुमार हि. 23/1176, ऊषा पत्नि भूरीसिंह हिस्सा 11/294, ओमवीर पुत्र धान सिंह 157/5880, गुड्डी पुत्री केशवसिंह हि. 25/2352, गिरजेश पुत्री केशवसिंह हि. 25/2352, गोपाल पुत्र निहालसिंह हि. 743/4704, जयदेवी पत्नि रमेश हिस्सा 743/4704 (5/32 हि. राहिन एसबीबीजे शाखा बरैठा) जीतेन्द्र पुत्र धानसिंह हि. 157/5880, देवेन्द्र पुत्र प्रकाश हि. 59/5880, मुकेश पुत्र प्रकाश 59/5880, मुनीषा पत्नी मुरारी लाल 11/294, रमुजी पुत्र निहालसिंह 743/4704 (हि. 5/32 राहिन एसबीबीजे शाखा बरैठा), रमेश पुत्र निहाल सिंह हि. 743/4704 (हि. 1/8 राहिन एसबीबीजे शाखा बरैठा) रेशम देवी पत्नी दुशासन हि. 11/294 (हि. 1/28 राहिन एसबीआई शाखा धौलपुर), राजेन्द्र पुत्र धान सिंह हि. 157/5880, राजपाल पुत्र केशव सिंह हि. 25/2352, राधा पत्नी रामदत्त 23/1176, रामकुमार पुत्र केशवसिंह हि. 25/2352 विष्णु पुत्र प्रकाश हि. 59/5880, श्यामवीर पुत्र	1517 / 2	0.2073



उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

	थानसिंह हि. 157/5880, सोमवती पत्नी हाकिम सिंह हि. 11/294 जाति ठाकुर सा. देह खातेदार		
5	राजकुमारी पत्नी विनोद सिंह जाति ठाकुर सा. देह खातेदार	1514/1	0.0348
6	ऊमादेवी पत्नी राकेश कुमार हि. 13/176, ऊमादेवी पत्नी भूरीसिंह हि. 3/22, गुड्डी पुत्री केशवसिंह हि. 15/352, गिरजेश पुत्री केशवसिंह हि. 15/352, जयदेवी पुत्री निहाल सिंह हि. 3/22, मुनीषा पत्नी मुरारी लाल हि. 3/22, रेशमदेवी पत्नी दुशासन हि. 3/22 (हि. 1/8 राहिन एसबीआई शाखा धौलपुर), राजपाल पुत्र केशवसिंह हि. 15/352, राधा पत्नी रामदत्त हि. 13/176, रामकुमार पुत्र केशवसिंह हि. 15/352 सोनवती पत्नी हाकिम सिंह हि. 3/22, जाति ठाकुर सा. देह खातेदार	1514/2 1515	0.0917 0.1517

रहन के इन्द्राज बदस्तुर कायम रहेगे। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.8.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)